



2026:AHC:32161-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2096/2026

पूरन लाल मीणा एवं 6 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 4 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : श्याम सुंदर पाल, विनोद कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., शिव कुमार पाल

न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार पाल को सुना गया।
2. सात याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 17.09.2025 के उस आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद ने उनके मूल आवेदन (ओ.ए.) संख्या 578/2022 को गुण-दोष के अभाव में खारिज कर दिया था। मूल आवेदन में याचिकाकर्ताओं को मूल आवेदन संख्या 291/2014 में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2019 के आलोक में ग्रुप-डी के पदों पर सभी परिणामी लाभों के साथ नियुक्त करने और कनिष्ठों की नियुक्ति की तिथि से अन्य सभी लाभ प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त, लंबित प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने और रोजगार सूचना संख्या 01/2007 के संबंध में ग्रुप-डी पदों के रिक्ति चार्ट के साथ 20% अतिरिक्त उम्मीदवारों का परिणाम उपलब्ध कराने की राहत मांगी गई थी।
3. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 5 को छोड़कर अन्य छह एसटी श्रेणी (एसटी) के हैं और याचिकाकर्ता संख्या 5 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित है। सभी याचिकाकर्ताओं ने रेलवे भर्ती सेल, इलाहाबाद द्वारा 2968 रिक्तियों के विरुद्ध जारी रोजगार सूचना संख्या 01/2007 के अनुसरण में ग्रुप-डी पदों के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा, दस्तावेजों के सत्यापन और साक्षात्कार के चरणों में सम्मिलित हुए और सफल रहे तथा उन्हें 20% अतिरिक्त चयनित उम्मीदवारों की चयन सूची में रखा गया। 2968 रिक्तियों में से वर्ष 2012 में केवल 2764 भरी गईं और वर्ष 2013 में 160 चयनित उम्मीदवारों की अतिरिक्त सूची जारी की गई। 44 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के बाद, उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण लगभग 300 पद रिक्त पड़े थे।
4. आगे यह मामला है कि 20% अतिरिक्त उम्मीदवारों की चयन सूची से तीन अन्य उम्मीदवारों द्वारा मूल आवेदन संख्या 291/2014 दाखिल किया गया था, जिसे अधिकरण ने 02.05.2019 को निस्तारित करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया था कि वे उन आवेदकों के साथ-साथ उक्त अतिरिक्त सूची के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अन्य उम्मीदवारों के दावे पर चयनित उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विचार करें। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रतिवादियों ने 'पिक एंड चूज' की नीति अपनाई और सूची के शेष उम्मीदवारों के दावे पर विचार किए बिना कुछ ही व्यक्तियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए, इसलिए वर्तमान रिट याचिका को जन्म देने वाला मूल आवेदन दाखिल किया गया था।

5. प्रतिवादियों ने प्रति-शपथ पत्र दाखिल कर याचिकाकर्ताओं के दावे का विरोध किया और यह रुख अपनाया कि चयन प्रक्रिया के अनुसरण में 2764 पात्र उम्मीदवारों का पैनेल घोषित किया गया था और 204 उम्मीदवारों का परिणाम रोक दिया गया था। इसके बाद 160 उम्मीदवारों की सूची घोषित की गई और दस्तावेजों में कुछ खामियों के कारण 44 उम्मीदवारों का परिणाम रोककर जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन संबंधित रेलवे इकाई से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

6. वर्तमान याचिकाकर्ताओं के संबंध में प्रति-शपथ पत्र और पूरक प्रति-शपथ पत्र में यह रुख अपनाया गया कि मूल आवेदन संख्या 291/2014 में पारित आदेश के अनुपालन में 44 रिक्तियों के विरुद्ध श्रेणीवार रिक्तियां इस प्रकार हैं: अनारक्षित-25, ओबीसी-3, एससी-6, एसटी-10। श्रेणीवार विस्तारित कट-ऑफ रैंक तैयार की गई जो अनारक्षित के लिए 2734, ओबीसी के लिए 3664, एससी के लिए 3836 और एसटी के लिए 4706 थी और तदनुसार उम्मीदवारों का चयन किया गया। आगे यह बताया गया कि विस्तारित कट-ऑफ के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त रैंक इस प्रकार हैं: याचिकाकर्ता संख्या 1 (एसटी)-5420, याचिकाकर्ता संख्या 2 (एसटी)-5273, याचिकाकर्ता संख्या 3 (एसटी)-5067, याचिकाकर्ता संख्या 4 (एसटी)-5154, याचिकाकर्ता संख्या 5 (ओबीसी)-3977, याचिकाकर्ता संख्या 6 (एसटी)-5408 और याचिकाकर्ता संख्या 7 (एसटी)-4909। याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन दिनांक 30.05.2022 को आदेश दिनांक 15.06.2022 द्वारा यह स्पष्ट करते हुए निस्तारित किया गया कि रिक्तियों की संख्या 300 के बजाय केवल 44 है।

7. अधिकरण ने पक्षों के तर्कों पर विचार करने और इस तथ्य को नोट करने के बाद कि 2007 की अधिसूचना के बाद वर्ष 2010, 2012, 2013 और 2015 की अन्य अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं और चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यह माना कि याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती। इसका एक अतिरिक्त कारण यह भी था कि यदि उनके मामले का 44 रिक्तियों के विरुद्ध परीक्षण किया जाए तो वे विभिन्न श्रेणियों की विस्तारित सूची के कट-ऑफ रैंक के भीतर नहीं आते हैं और 20% अतिरिक्त उम्मीदवारों की सूची में उनसे अधिक मेधावी उम्मीदवार उपलब्ध हैं। परिणामस्वरूप, मूल आवेदन खारिज कर दिया गया।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि चूंकि कई उम्मीदवारों ने चयन के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं किया, इसलिए 20% अतिरिक्त सूची के उम्मीदवारों (याचिकाकर्ताओं सहित) का दावा अभी भी जीवित है। अतः, मूल आवेदन संख्या 291/2014 में पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं को राहत दी जानी चाहिए थी। आगे यह निवेदन किया गया कि समान परिस्थितियों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने 12.01.2026 को विविध रिट याचिका संख्या - **5700/2025** (सुमित अहिरवार बनाम भारत संघ व अन्य) मामले में निर्णय दिया है; यद्यपि वह निर्णय अधिकरण के विवादित आदेश के बाद का है, उसे याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पढ़ा जाए और रिट याचिका स्वीकार की जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आदेश का समर्थन किया और तर्क दिया कि 300 रिक्तियों के संबंध में याचिकाकर्ताओं का रुख निराधार पाया गया है और केवल 44 पद रिक्त थे। इसके बाद की अधिसूचनाएं जारी की गईं और चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वैसे भी, चूंकि याचिकाकर्ता अपनी श्रेणियों में योग्यता क्रम में काफी नीचे थे, इसलिए उनका कोई मामला नहीं बनता।

10. हमने प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

11. रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ तक मूल आवेदन संख्या 291/2014 का प्रश्न है, वह वर्तमान याचिकाकर्ताओं के अलावा तीन अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया था। फिर भी, अधिकरण ने 02.05.2019 के अपने आदेश में विभाग द्वारा मार्च 2012 और अगस्त 2013 में जारी चयन सूचियों से चयनित उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पदों पर 20% अतिरिक्त सूची के उम्मीदवारों के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया था।

12. यह तथ्य विवाद से परे है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्ष 2022 में प्रस्तुत प्रत्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15.06.2022 को यह दर्शाते हुए निर्णीत किया गया था कि केवल 44 पद शेष हैं न कि 300, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा गलत तरीके से आरोप लगाया गया था, और यह कि उक्त शेष पदों को मूल आवेदन संख्या 291/2014 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2019 के अनुपालन में भरा जा रहा था। याचिकाकर्ताओं ने उसी चरण में मूल आवेदन दायर किया जिससे वर्तमान रिट याचिका उत्पन्न हुई है, और शपथ पत्रों के आदान-प्रदान के बाद यह तथ्य रिकॉर्ड पर आया कि 44 रिक्तियों के विरुद्ध श्रेणीवार रिक्तियां इस प्रकार हैं: 25 (अनारक्षित), 3 ओबीसी, 6 (एससी), 10 (एसटी) और अनारक्षित श्रेणी के लिए विस्तारित कट-ऑफ रैंक 2734 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3664 है, अनुसूचित जाति के लिए 3836 है और एसटी के लिए 4706 है तथा अभ्यर्थियों का चयन तदनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त, विस्तारित कट-ऑफ के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त रैंक इस प्रकार हैं: याचिकाकर्ता संख्या 1 (एसटी)- 5420, याचिकाकर्ता संख्या 2 (एसटी)- 5273, याचिकाकर्ता संख्या 3 (एसटी)- 5067, याचिकाकर्ता संख्या 4 (एसटी)- 5154, याचिकाकर्ता संख्या 5 ओबीसी- 3977, याचिकाकर्ता संख्या 6 (एसटी)- 5408 और याचिकाकर्ता संख्या 7 (एसटी)- 4909।

13. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को, मामले के अन्य पहलुओं के अलावा, अधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा यह देखते हुए संज्ञान में लिया गया है कि यदि याचिकाकर्ताओं के मामले पर 44 रिक्तियों के विरुद्ध विचार किया भी जाता है, तो भी वे विभिन्न श्रेणियों में विस्तारित सूची के कट-ऑफ रैंक के भीतर नहीं आएंगे। हमारा मत है कि अधिकरण का उक्त निष्कर्ष पूर्णतः न्यायसंगत है, क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित 7 याचिकाकर्ताओं में से 6 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का है, परंतु सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए कट-ऑफ रैंक संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित कट-ऑफ से काफी नीचे हैं। इसलिए, यदि यह न्यायालय इन कार्यवाहियों में याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति के दावे पर विचार करने की सीमा तक जाता भी है, तो भी वे प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित कट-ऑफ रैंक से बहुत नीचे रहेंगे।

14. हमने अधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर-शपथ पत्र में पाया कि कट-ऑफ रैंक पर आधारित प्रतिवादियों के रुख का गंभीरता से खंडन नहीं किया गया था और याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी रैंक की स्थिति को गलत साबित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. जहाँ तक याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का प्रश्न है कि प्रतिवादियों का यह दायित्व था कि वे यह बताएं कि कितने उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करने नहीं आए, हमें इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता। विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि 300 रिक्तियों का दावा रिकॉर्ड से गलत साबित हो चुका है और मौजूद 44 रिक्तियों के लिए कट-ऑफ के आधार पर याचिकाकर्ताओं का दावा विचार के दायरे से बाहर हो जाता है।

16. जहाँ तक सुमित अहिरवार (सुप्रा) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है, वह याचिकाकर्ताओं के लिए सहायक नहीं है, क्योंकि उस मामले में भारत संघ ने अधिष्ठान में कोई रिक्ति न होने के संबंध में रुख अपनाया था, परंतु उन याचिकाकर्ताओं ने रिक्तियों की स्थिति को स्पष्ट किया था और उस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत पद की रिक्तियों की जांच करने और उनकी उपयुक्तता के अधीन रहते हुए उक्त याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश जारी किया गया था।

17. वर्तमान मामले में, एक बार जब प्रतिवादियों द्वारा रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट रूप से 44 दर्शा दी गई है और प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित कट-ऑफ के आधार पर संबंधित रैंक की स्थिति याचिकाकर्ताओं को विचार के दायरे से बाहर कर देती है, तो हमारा यह मानना है कि याचिकाकर्ताओं के पास नियुक्ति पाने का कोई आधार नहीं है।

18. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमें अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।

19. परिणामस्वरूप, रिट याचिका में कोई सार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

12 फरवरी, 2026

ज्योत्सना

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"